न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2025/	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/68/2025	2025/304	18.06.2025	20.08.2025

1– ईशाक पुत्र चन्दर खॉ,
2– हनीफ पुत्र चन्दर खॉ,
3– आजाद पुत्र चन्दर खॉ,
4– अब्दूल पुत्र चन्दर खॉ, जाति मेंव, निवासीयान ग्राम शेखपुर तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार किशनगढबास, तहसील किशनगढबास, जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार किशनगढबास निर्णय दिनाक 10.04.2025 नामान्तकरण संख्या 2291 वाके ग्राम शेखपुर तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

उपस्थित
01. श्री मौहम्मद ईमरान

वकील अपीलान्ट

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास के नामान्तकरण संख्या 2291 वाके ग्राम शेखपुर तहसील किशनगढबास निर्णय दिनाक 10.04.2025 से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न0 172 रकबा 0.6700 है0 वाके ग्राम शेखपुर तहसील किशनगढबास में स्थित है, आराजी अपीलान्ट की कब्जा काश्त की आराजी है, जिसमें अपीलान्ट का समान हक–हिस्सा अर्थात 1/4, 1/4 हिस्सा है। उक्त आराजी में किसी व्यक्ति अथवा संस्था अथवा वित्तीय बैंक का किसी प्रकार का संबंध व सरोकार नही है। अपीलान्ट का एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास में बअनुवान ईशाक वगै0 बनाम मौहम्मद वगै0 दावा दुरूस्ती मय राजस्व रिकार्ड विचाराधीन था, जिसका वाद संख्या 121/2023 है, वाद का निर्णय दिनाक 23.12.2024 को करते हुऐ अपीलान्टान को आराजी का खातेदार काश्तकार दर्ज करने के आदेश पारित किये गये है। पारित निर्णय के आधार पर आराजी खसरा न0 172 रकबा 0.6700 है0 वाके ग्राम शेखपुर तहसील किशनगढबास का नामान्तकरण अपने हक में दर्ज व मंजूर करवाना चाहते है। जिस पर राजस्व कर्मचारियो ने कार्यालय तहसीलदार किशनगढबास के आदेश कमांक भू0 अ0 323 दिनाक 14.02.2025 के अनुसार नामान्तकरण दर्ज कर वास्ते जॉच एंव आदेशार्थ दिनाक 02.04.2025 को रेस्पोडेन्ट को भेज दिया किन्तु रेस्पोडेन्ट द्वारा अपना निर्णय दिनाक 10.04.2025 को करते हुऐ अपने निर्णय में दर्ज किया कि मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज में बैक का ऋण चुकाया जाने का अंकन या प्रमाण–पत्र संलग्न नही होने से नामान्तकरण अस्वीकार किया जाता है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपना निर्णय पारित करते हुऐ मिन अपीलान्ट के दस्तावेज व मिन अपीलान्ट के राजस्व रिकार्ड का बारिकी से अवलोकन नही किया गया। जबकि वास्तविकता यह है, कि अपीलान्ट की उक्त आराजी खसरा न0 172 रकबा 0.6700 है0 वाके ग्राम शेंखपुर पर किसी भी बैक अथवा वित्तीय संस्था का ऋण नही है। बल्कि उक्त आराजी के साथ अन्य आराजी खसरा न0 171 वाके ग्राम शेखपुर पर पंजाब नेशनल बैक शाखा बहादुरपुर से ऋण प्राप्त किया हुआ है। जिसका अंकन स्पष्ट

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

रूप से दर्ज रिकार्ड हो रहा है। किन्तु रेस्पोडेन्ट ने दस्तावेजो का बारिकी से जॉच किये बिना और खसरा न0 171 पर ऋण होने के कारण उक्त आराजी खसरा न0 172 पर भी ऋण मानते हुऐ नामान्तकरण को खारिज कर दिया गया। जो निरस्त किये जाने योग्य है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय की जानकारी मिन अपीलान्ट को पूर्व में नही थी, अपीलान्ट दिनाक 24.04.2025 को पटवारी हल्का के पास राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त करने गया तब अपीलान्ट की जानकारी में आया कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा नामान्तकरण खारिज कर दिया गया है। जिस पर नामान्तकरण की नकल हेतु आवेदन किया जिस पर नकल प्राप्त की जाकर कानूनी सलाह मशवरा कर बिना देरी किये अपील पेश की गयी है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय के विरूद्व अपील किये जाने में जो समय गुजरा है, वह जानकारी के अभाव में गुजरा है, जिसे कन्डोन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 का पेश कर निवेदन है, कि दिनाक 10.04.2025 से 24.04.2025 तक का समय कन्डोन किया जाकर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद ग्रहण की जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय को निरस्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 2291 वाके ग्राम शेखपुर तहसील किशनगढबास निर्णय दिनाक 10.04.2025 के विरूद्व अपील न्यायालय हाजा को दिनाक 21.05.2025 को पेश की गयी है, प्रस्तुत अपील करीब 01 माह, 19 दिवस विलम्ब से पेश की गयी है। विलम्ब के मामलो में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है, अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि आराजी खसरा न0 172 रकबा 0.6700 है0 वाके ग्राम शेखपुर तहसील किशनगढबास अपीलान्ट की कब्जा काश्त की आराजी है, जिसमें अपीलान्ट का समान हक–हिस्सा अर्थात 1/4, 1/4 हिस्सा है। उक्त आराजी में किसी व्यक्ति अथवा संस्था अथवा वित्तीय बैंक का किसी प्रकार का संबंध व सरोकार नही है। अपीलान्ट का एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास में बअनुवान ईशाक वगै0 बनाम मौहम्मद वगै0 दावा दुरूस्ती मय राजस्व रिकार्ड विचाराधीन था, जिसका निर्णय दिनाक 23. 12.2024 को करते हुऐ अपीलान्टान को आराजी का खातेदार काश्तकार दर्ज करने के आदेश पारित किये गये है। पारित निर्णय के आधार पर आराजी खसरा न0 172 रकबा 0.6700 है0 का नामान्तकरण दर्ज किये जाने हेतु तहत अदालत तहसीलदार किशनगढबास के आदेश क्रमांक भू0 अ0 323 दिनाक 14.02.2025 के अनुसार नामान्तकरण दर्ज कर वास्ते जॉच एंव आदेशार्थ दिनाक 02.04.2025 को रेस्पोडेन्ट को भेज दिया किन्तु रेस्पोडेन्ट द्वारा निर्णय दिनाक 10.04.2025 में दर्ज किया कि मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज में बैक का ऋण चुकाया जाने का अंकन या प्रमाण–पत्र संलग्न नही होने से नामान्तकरण अस्वीकार किया गया है। तहत अदालत के द्वारा निर्णय पारित करते हुऐ अपीलान्ट के दस्तावेज व मिन अपीलान्ट के राजस्व रिकार्ड का बारिकी से अवलोकन नही किया गया। जबकि वास्तविकता यह है, कि अपीलान्ट की उक्त आराजी पर किसी भी बैक अथवा वित्तीय संस्था का ऋण नही है। बल्कि उक्त आराजी के साथ अन्य आराजी खसरा न0 171 वाके ग्राम शेखपुर पर पंजाब नेशनल बैक शाखा बहादुरपुर से ऋण प्राप्त किया हुआ है। जिसका अंकन स्पष्ट रूप से दर्ज रिकार्ड हो रहा है। किन्तु रेस्पोडेन्ट ने दस्तावेजो का बारिकी से जॉच किये बिना और खसरा न0 171 पर ऋण होने के कारण उक्त आराजी खसरा न0 172 पर भी ऋण मानते हुऐ नामान्तकरण को खारिज कर दिया गया। तहत अदालत के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। तहत अदालत द्वारा नामान्तकरण संख्या 2291 दिनाक 02.04.2025 को पटवारी हल्का द्वारा न्यायालय के आदेश/तहसीलदार किशनगढबास के आदेश क्रमांक भू0अभि0/323 दिनाक 14.02.2025 की पालना में अपीलान्ट के पक्ष में दर्ज किया जाकर वास्ते निर्णय हेतु पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश किया गया है, जिस पर पीठासीन अधिकारी द्वारा बैक ऋण चुकाया जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न नही होने के कारण नामान्तकरण को खारिज किया गया है। जबकि आराजी खसरा न0 172 पर कोई ऋण नही है, पटवारी हल्का द्वारा सही नामान्तकरण दर्ज किया गया है, किन्तु तहत अदालत द्वारा नामान्तकरण गलत रूप से खारिज किया गया है। पारित निर्णय न्यायोचित नही है। अपील अपीलान्टान स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील स्वीकार की जाती है, तहसीलदारा किशनगढबास द्वारा पारित निर्णय दिनाक 10.04.2025 नामान्तकरण संख्या 2291 वाके ग्राम शेखपुर तहसील किशनगढबास

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज0)

जिला खैरथल–तिजारा निरस्त किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ तहत अदालत को प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पारित निर्णय की प्रमाणित–प्रति तहत अदालत को पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमावत)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)